रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2008/चैत्र 19, 1930
No. 459] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2008/CHAITRA 19, 1930

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2008

का.आ. 824(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डॉ. गिरिजा व्यास, ए-96, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष के रूप में नामित करती है । डॉ. गिरिजा व्यास का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा ।

[फा. सं. 9-1/2008-म.क.]

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2008

S.O. 824(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates Dr. Girija Vyas, A-96, Shahjahan Road, New Delhi-110011, as Chairperson of the National Commission for Women, New Delhi. Dr. Girija Vyas shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9-1/2008-WW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.

IndiaCode

1303 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.